



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सू करने की निश्चित तारीख	लियो	तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
18/6/21	18/6/21	18/6/21	21/6/21	21/6/21

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 4637  
 खाता नं० 286 वाडें सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भूस्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो		(1) अधियोगी रयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियों) (3) कोई विशेष शर्त और अनुपगत बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	पुत्राक गौड़ दिवाकर गौड़ सनातन गौड़ पुर्ण यशु गौड़ पिता शानु गौड़ एक अंश समान वो पेशे गौड़ पिता श्रेष्ठ मोहन गौड़ एक अंश	4637	शुद्ध हो द्विधा सका	गोपाली	2.31.00		ii) काविल लेगान		iii) कायमी नोट मुकदमा नं० 68 सम-1981-82 सी. एन. टी. एफ. के द्वारा-90 के आदेशानुसार (नोट सेल्वा-4637) खतानं 286 के खतियान खाना दो पुत्राक गौड़ ई. का नाम श्वारिप होकर वैधानुच गौड़ ई. पिता पुत्राक गौड़ का नाम दर्ज समझा जायगा ह अश्वर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी सिंहभूम

प्रतिलिपिक  
22/6/21

तुलना किया  
22/6/21

Certified to be True Copy  
 Read Mark to the Statement off.  
 is authorized U/s 76 of the  
 Indian Evidence Act. 1872

17/08/21 के द्वारा 88(2) कृपा पत्रार 22 उद्दीष्ट  
 नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1928 की धारा 104  
 के अन्वय में तैयार हुआ और इसका अंतिम बकाया  
 दिनक-10/11/2021 ... की तिथि पर  
 अंतिम प्रकाशन प्रमाण बत दिनांक-18/11/2021  
 के अन्वय में हुआ